राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY

निफ्ट कैम्पस, प्लॉट नं. 20, सेक्टर 4-खारघर, मुंबई - 410210 NIFT CAMPUS, PLOT NO. 20, SECTOR-4 KHARGHAR, MUMBAI-410210 छात्रावास निवासियों के लिए नियम और विनियम (लड़िकयों) जुलाई2024 से मई2025 तक

RULES AND REGULATIONS FOR HOSTEL RESIDENTS (GIRLS) July2024 to May2025



छात्रावास परिसर HOSTEL CAMPUS

प्रस्तावना/ परिचय PREAMBLE/INTRODUCTION

निफट मुंबई छात्राओं को छात्रावास की सुविधा (प्लॉट नंबर 20 पर) प्रदान करता है। जहां विभिन्न प्रकार के कमरों में कुल 587 छात्राओं को ठहराया जा सकता है। छात्रावास मुख्य परिसर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। छात्रावास सभी फर्नीचर और फिक्स्चर से सुसज्जित है। प्रत्येक हॉस्टलर को एक कॉमन रूम, 24 घंटे गर्म/ठंडे पानी की सुविधा, व्यायामशाला, ब्यूटी पार्लर (भुगतान के आधार पर), मिनी लाइब्रेरी, मुफ्त वाई-फाई सुविधा, स्वचालित लॉन्ड्री मशीनें/आईओटी आधारित स्मार्ट लॉन्ड्री सुविधा प्रस्तावित (भुगतान के आधार पर) और मेस प्रदान की जाती है। सीसीटीवी निगरानी के साथ 24 x 7 सुरक्षा व्यवस्था। छात्रावासियों के सभी मुद्दों और चिंताओं के समाधान के लिए सहायक छात्रावास वार्डन, डॉक्टर और परामर्शदाता भी उपलब्ध हैं।

NIFT Mumbai provides Hostel facilities to the Girls students (at plot no. 20). Where in total 587 Girl students can be accommodated in various types of rooms. The Hostel is situated at 500 mtrs from main campus. The hostel is equipped with all furniture and fixtures. Each girl hostler is

provided with a Common room, 24 hours hot/cold water facilities, Gymnasium, Beauty Parlour(On payment basis), Mini Library, free Wi-fi facility, Automated Laundry Machines/IOT based Smart Laundry facility proposed (on payment basis) and Mess with 24 X 7 security arrangements with CCTV Surveillance. In house Assistant Hostel Warden is available, Doctor & Counselor are also available to address all the issues & concerns of hostlers.



स्वागत क्षेत्र/RECEPTION AREA



जॉगिंग ट्रैक/JOGGING TRACK



सभागार/AUDITORIUM



<u>भोजनालय/MESS</u>



धुलाई का स्थान/LAUNDRY AREA



व्यायामशाला और इनडोर खेल क्षेत्र GYMNASIUM AND INDOOR GAMES AREA



सिलाई मशीनें और मनोरंजन कक्ष SEWING MACHINES AND RECREATION HALL



ब्यूटी पार्लर/BEAUTY PARLOUR

1. छात्रावास प्रबंधन/HOSTEL MANAGEMENT

- a. छात्रावास का प्रबंधन एक सक्षम छात्रावास समिति द्वारा किया जाता है Hostel is managed by a Competent Hostel committee.
- b. छात्रावास समिति के सदस्य हैं:-

The members of Hostel committee are:-

Mr. Khushal Jangid, Joint Director (Chair)

Ms. Binita Jha – Asst. Hostel Warden (Convenor)

Ms. Sneha Bhatnagar, Asst. Professor

Dr. Akansha Nautiyal – Asst. Professor

Sh. Sayandeep Debnath, Asst. Professor and SDAC Ms. Suruchi Banerjee Dhasmana, Asst. Professor

- c. दैनिक छात्रावास मामलों का प्रबंधन सहायक वार्डनद्वारा किया जाता है जो छात्रावास में रहती है। Day to Day hostel affairs are managed by Asst. Warden who is resident in the hostel.
- a. छात्रा सहायता, मार्गदर्शन और शिकायत निवारण के लिए उपरोक्त किसी भी सदस्य से संपर्क कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों को अभ्यावेदन उचित माध्यम से अग्रेषित किया जाना चाहिए।

 The students can approach any of the above members for help, guidance and grievance redressal.

 Representations to higher officers must be forwarded through proper channel.

2. छात्रावास संबन्धित विभिन्न समय सारणी

Various time tables related to hostel

S.No.	Place	Timing
1	Main gate	Open – 7:00am
		Close – 9:00pm
2	Reception gate	Open – 7:00am
		Close – 11:00pm
3	Gym Hall	Monday to Friday
		Morning – 6:00am to 8:00am
		Evening – 5:30pm to 9:00pm
		Weekend & Holidays
		Morning – 6:00am to 10:00am
		Evening – 6:00pm to 10:00pm
4	Laundry Room	Open – 7:00am
		Close – 12midnight
5	Visitors timing	Monday to Friday – 5:00pm to 8:00pm
		Weekends & Holidays – 10:00am to 8:00pm
6	Biometric Attendance (Reception Area)	9:00pm to 10:30pm daily
7	Housekeeping timing	Monday to Friday – 7:00am to 9:00am
		Weekends – 10:00am to 7:00pm
8	Doctor Visit (General Physician)	Monday to Thursday(college campus) – 5:00pm
		to 6:00pm
		Every Friday (Girls Hostel) – 5:00pm to 6:00pm
9	Counsellor visit	Monday to Friday (college campus) – 5:00pm to
		6:00pm
		Every Saturday (Girls Hostel) - 5:00pm to 6:00pm

3. आवास/ACCOMMODATION:

Type of Assemmedation	Girls Hostel				
Type of Accommodation	Rooms	Capacity			
4 bed sharing rooms(Non AC)	7	28			
3 bed sharing rooms(Non AC)	2	6			
Dormitory(Non AC)	1	17			
6 bed sharing Dormitory (AC)	1	6			
8 bed sharing Dormitory (AC)	1	8			
Twin-sharing (Non AC Rooms)	141	242			
Twin-sharing (AC Rooms)	120	280			
Total	274	587			



द्विछात्राओं वाला कक्ष/TWIN-SHARING ROOM



एसी डोरमेटरी/AC Dormitory



गैर एसी डोरमेटरी/ Non AC Dormitory

• नियमित छात्रों को निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद पहले-आओ-पहले-पाओ (भुगतान तिथि के अनुसार) के आधार पर छात्रावास आवास उपलब्ध है। शैक्षणिक सत्र (जून से जुलाई) के बीच ब्रेक के दौरान किसी भी छात्रा को कमरे में रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन उसे अनुरोध पर रहने की अनुमति दी जा सकती है, यदि वह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन कोई पाठ्यक्रम कार्य/प्रोजेक्ट कार्य/संस्थान कार्य/छात्रावास कार्य कर रही है, तो इसके लिए छात्रा को अतिरिक्त छात्रावास शुल्क का भुगतान करना होगा।

Hostel Accommodation is available to regular students on first-cum-first serve basis after the payment of stipulated fees. No students have the right of occupying a room during break between Academic session (June to July). But she may be permitted to stay on request, if she is doing any course work/project work /Institute work/Hostel work subject to the approval of competent authority, for this the student will have to pay additional hostel fee.

- ग्रीष्मकालीन (जून-जुलाई) उद्योग इंटर्नशिप के दौरान छात्राओं को छात्रावास की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। छात्राओं को उद्योग में शामिल होने से पहले छात्रावास खाली करना होगा (क्योंकि उस दौरान पूरे छात्रावास का रखरखाव कार्य किया जाता है)

 Hostel facilities are not provided to the students during summer (June-July) industry internships. Students need to vacate the hostel before joining the industry (as maintenance work of the entire hostel is carried out during that time)
- छात्रावास आवंटन अंतिम वर्ष की छात्राओं को छोड़कर एक शैक्षणिक वर्ष के लिए है। Hostel allotment is for one academic year except for the final year students.
- िकसी भी प्रकार की बाहरी इंटर्निशप/स्वयंसेवकशिप/असाइनमेंट/फ्रीलांसिंग आदि जो अकादिमक कैलेंडर का हिस्सा नहीं है उसके लिए छात्राओं को बाहरी इंटर्निशिप/स्वयंसेवकशिप/असाइनमेंट/फ्रीलांसिंग आदि से संबंधित दस्तावेजों के साथ एक दिन पहले ईमेल करना होगा और माता-पिता को भी अपनी सहमित के रूप में पंजीकृत मोबाइल नंबर से एसएमएस/व्हाट्सएप भेजना होगा।

Any kind of external internship/volunteership/assignment/freelancing etc. which is not the part of academic calendar, the students will have to email it a day in advance with the documents related to the external internship/volunteership/assignment/freelancing etc. and also Parents will have to send SMS/WhatsApp from the registered mobile number as their consent.

 िकसी भी प्रकार के सोशल मीडिया (जैसे-फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि) के माध्यम से प्राप्त किसी भी प्रकार की बाहरी इंटर्निशिप/स्वयंसेवकशिप/असाइनमेंट/फ्रीलांसिंग आदि जो अकादिमक कैलेंडर का हिस्सा नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं होगी।

Any kind of external internship/volunteership/assignment/freelancing etc. received through any kind of social media (Like-Facebook, Instagram etc.) which is not the part of academic calendar will not be acceptable from security point of view.

 छात्रावास मे उपरोक्त कारण से आने का समय रात 9:30 बजे तक होगा। इससे ज्यादा की देरी किसी भी वजह से स्वीकार नहीं की जाएगी।

The time for coming to the hostel for the above reason will be till 9:30 pm. Delay more than this will not be accepted for any reason.

 नियमित पाठ्यक्रम के अलावा किसी अन्य छात्रा (जैसे सीई कार्यक्रम) के लिए छात्रावास के कमरे का आवंटन नियमित छात्राओं के सभी अनुरोधों के पूरा होने के बाद ही उपलब्धता पर निर्भर करता है।

Allotment of a Hostel room to any other students (Like CE program) other than regular course depends on availability only after all requests from regular students are fulfilled.

- सप्ताह के दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एसी चालू नहीं रहेगा।
 AC will not be operational from 9.00am to 5pm during weekdays.
- एक बार भुगतान की गई छात्रावास शुल्क वापस नहीं की जाएगी। हालाँकि, रिफंड नीति में एक अपवाद होगा कि यदि छात्रा दूसरे निफ्ट में स्थानांतरित हो जाती है तो नियम के अनुसार छात्रा को शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

Hostel fees once paid will not be refunded. However, there would be an exception for the refund policy that if the student gets transferred to another NIFT then the money would be refunded to the student as per rule.

4. कक्ष आवंटन/ROOM ALLOTMENT:

- छात्रावास में प्रवेश को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।
 Admission in the Hostel cannot be claimed as a matter of right.
- प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए 240 सीटें (120 एसी और 120 नॉन एसी) आरक्षित हैं।
 240 seats (120 AC and 120 Non AC) are reserved for first year students.

- कमरे की उपलब्धता के अधीन पूर्ण छात्रावास शुल्क प्राप्त होने के बाद पहले-आओ-पहले-पाओ (भुगतान तिथि के अनुसार) कमरे आवंटित किए जाते हैं। यदि कमरे पूरी तरह भरे हुए हैं तो आपका भुगतान वापस कर दिया जाएगा।
 - Rooms are allotted on first cum first serve basis after receiving full payment subject to availability of the room. If rooms are fully occupied then your payment will be refunded.
- जो छात्रा आरटीजीएस/एनईएफ़टी के माध्यम से भुगतान कर रही हैं, उन्हें hostwarden.mumbai@nift.ac.in पर एक ईमेल भेजना होगा जिसमें भुगतान का विवरण जैसे स्थानांतरण की तारीख, बैंक का नाम, यूटीआर नंबर, खाताधारक का नाम और छात्रा का नाम बताना होगा। ऐसा न करने पर निफ्ट कमरा आवंटित करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बाद के चरण में कोई अन्रोध स्वीकार नहीं किया जाएगा.

Students who are making payment through RTGS/NEFT will have to send an email to hostelwarden.mumbai@nift.ac.in informing the detail of transaction such as date of transfer, bank name, UTR No., account holder name and student name, failing which NIFT will not be responsible for allotting the room. No request will be accepted at later stage.

- हर साल छात्राओं को छात्रावास के लिए पुनः आवेदन करना आवश्यक होता है।
 Every year students are required to do re-admission for hostel.
- छात्रावासी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार सेमेस्टर की समाप्ति की तारीख के बाद छात्रावास में आवास बनाए रखने के हकदार नहीं होंगे।

The hostelite shall not be entitled to retain accommodation in the hostel beyond date of closing of semester as per academic calendar.

- िकसी भी छात्रावासी को अपना आवंटित कमरा बदलने की अनुमित नहीं है।
 No Hostelite is allowed to change her allotted room.
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार छात्राओं को छात्रावास खाली करना होगा।
 The hostelite shall have to vacate accommodation as per the instruction given by competent authority.
- 5. जलपान सेवा/MESS SERVICE: यहां एक विस्तृत छात्रावास भोजनालय है जहां स्वच्छ वातावरण में अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ परोसे जाते हैं। मेनू को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है ताकि छात्राओं की पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

There is a spacious hostel mess where good quality food items are served in a clean and hygienic environment. Menu is designed in such a fashion so that the nutritional requirement of the students are fulfilled.

• मेस सुविधा केवल प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रावास के छात्राओं के लिए अनिवार्य होगी और अंतिम वर्ष के छात्रावास के छात्राओं के लिए वैकल्पिक होगी।

Mess facility will be compulsory for 1st, 2nd and 3rd year hostel students only and optional for final year hostel students.

• इसमे शामिल है-

It includes-

सुबह का नाश्ता/Morning breakfast- Aloo-Paratha, Masala dosa, Idli-Sambhar, Medu Vada, Puri-Bhaji, Tea, Coffee, Milk, Seasonal fruit, Bread Butter, Boiled Egg etc.

दोपहर का खाना/Lunch — Dal-Rice, Chapati, Two variety of seasonal vegetable, Pickle, Butter Milk, Lemon juice etc.

शाम का नाश्ता/Evening Snacks- Bread Pakoda, Onion Pakoda, Pani Puri, Bhel, Veg cutlet, Tea, Coffee, Milk, Bread Butter etc.(Egg curry every Tuesday)

रात का खाना/Dinner – Dal Rice, Chapati, Two variety of seasonal vegetable, Pickle, Salad, Fruit Juice, Curd etc. (Egg curry every Sunday and Chicken every Wednesday)

- प्रत्येक माह का पहला रविवार "पर्व लंच दिवस" होगा और दोपहर के भोजन के बाद भोजनालय बंद रहेगा। उस दिन शाम का नाश्ता और रात का खाना नहीं परोसा जाएगा। 1st Sunday of every month would be a "Feast Lunch Day" and mess would remain closed after lunch hours. Evening snacks and dinner would not be served on that day.
- जलपान गृह के बर्तनों को कमरे के अंदर ले जाने की अनुमित नहीं है।
 Mess utensils are not allowed to take inside the room.
- जलपान का समय/Mess timings:

During Weekdays	During Weekends and Holidays
Breakfast:7.30am to 9.00am (with limited eatables)	Breakfast:9.00am to 10.30am (with limited eatables)
Lunch:12.30pm to 2.00pm	Lunch:12.30pm to 2.00pm
Snacks:5.00pm to 6.30pm (with limited eatables)	Snacks:5.00pm to 6.30pm (with limited eatables)
Dinner :8.00pm to 9.30pm	Dinner:8.00pm to 9.30pm

6. कमरों का निरीक्षण/ROOM CHECKING:

कैंपस प्रशासक/हॉस्टल वार्डन/या निफ्ट का कोई अन्य अधिकारी लेडी गार्ड के साथ दिन या रात के किसी भी समय वहां रहने वाले छात्राओं की उपस्थिति में अपने विवेक से छात्रावास के कमरे का निरीक्षण कर सकता है।

The Campus Administrator/Hostel Warden/or any other officials of NIFT along with Lady Guards may at their discretion in the presence of the students living there in any time of the day or night may inspect the hostel room.

7. गाड़ी/VEHICLE:

जिन छात्राओं के पास दोपहिया वाहन हैं, उन्हें पंजीकरण कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस की एक प्रति जमा करके कैंपस प्रशासन से उचित मंजूरी प्राप्त करनी होगी। छात्राओं के चार पिहया वाहनों को न तो छात्रावास/पिरसर के अंदर जाने की अनुमित है और न ही छात्रावास की पिरिध के बाहर पार्क करने की अनुमित है, हालांकि साइकिल को निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में पार्क किया जा सकता है।

The students who have two wheelers shall be required to obtain due sanction from the Campus Administration by submitting a copy of registration papers and driving license. Four wheelers of the students are neither allowed inside the hostel/Campus nor allowed to be parked outside along the perimeter of hostel, however bicycle can be parked at the designated parking area.

8. छात्रावास में वापसी/ RETURNING TO HOSTEL:

छात्राओं को रात 9 बजे से पहले हॉस्टल लौटना होता है जिसके बाद गेट बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह 7 बजे गेट दोबारा खोला जाता है। देर से आने वालों को गेट पर रखे रजिस्टर में एंट्री करनी होती है और उनके माता-पिता को अपने पंजीकृत नंबर से एसएमएस के जिरए हॉस्टल अथॉरिटी को सूचित करना होता है, तभी उन्हें हॉस्टल के अंदर जाने की अनुमित मिलती है। छात्रावास में तीन बार देर से आने पर छात्रावास में रहने की अनुमित रद्द कर दी जाएगी और ऐसी चूक के लिए फीस वापस नहीं की जाएगी। इसकी जानकारी छात्र के माता-पिता और स्थानीय अभिभावक को दी जाएगी.

Students have to return to the hostel before 9 pm after which the gate is closed. The gate is opened again at 7 am next morning. Late comers have to make entry in the register kept at the gate and their parents have to inform the hostel authority through SMS from their registered number, only then they are allowed inside the hostel. **Coming late to the hostel three times will result in cancellation of permission to stay in the hostel and fees for such defaults will not be refunded.** This information will be given to the student's parents and local guardian.

9. दैनिक उपस्थिति/DAILY ATTENDANCE:

सभी छात्रावासियों को रोजाना रात 9:00 बजे से 10:30 बजे के बीच अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति देनी होगी और जो अपनी उपस्थिति दर्ज करने में विफल रहेंगे, उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी।

All Hostelite shall give their biometric attendance between 9:00pm to 10:30pm daily and those who fail to punch their attendance, considered as absent and appropriate action would be taken.

10. आगंतुक (आगंतुकों के लिए नियम और समय):

VISITORS (Rules for Visitors & timings):

 छात्राएँ पंजीकरण के समय अपने माता-पिता द्वारा विधिवत स्वीकृत स्थानीय अभिभावक का नाम और पता प्रदान करेंगे, जिनसे वे छात्रावास में निर्दिष्ट दौरे के समय यानी सोमवार से शुक्रवार शाम 05:00 बजे से 08:00 बजे तक और शनिवार और रिववार प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक मिल सकते हैं।

Students will provide the name and address of the Local Guardian duly acknowledged by their parents at the time of registration whom they could meet during the hostel specified visiting hours i.e. Monday to Friday from 05:00 PM to 08:00 PM & Saturday & Sunday from 10:00 AM to 08:00 PM.

 सुरक्षा कारणों से, कोई भी बाहरी यात्रा समय पर शुरू होनी चाहिए तािक छात्रा रात 9:00 बजे तक अपने छात्रावास तक पहुंच सकें और रात की यात्रा की अनुमित नहीं है। माता-पिता को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों के लिए तदनुसार टिकट बुक करें तािक छात्रा छात्रावास के अनुमत समय के भीतर छात्रावास में पहुंच सकें। छात्रावास में देर रात या सुबह जल्दी प्रवेश को हतोत्साहित किया जाएगा।

For the security reasons, any outstation travel should start in time so as the students should be able to reach their Hostel by 9:00pm and no night travel is allowed. Parents are advised to book tickets of their wards accordingly so as the student shall reach the hostel within hostel permissible time. Any late night entry or early morning entry in the hostel shall be discouraged.

- प्रवेश रजिस्टर को उसके आधिकारिक स्थान पर रखा जाना चाहिए और किसी को भी उसे अपने कमरे में ले जाने की अनुमित नहीं दी जाती है।
 - Entry register should be kept at its official place and no one will be allowed to take it in her room.
- ि किसी छात्रावासी को अपने स्थानीय अभिभावकों के स्थान पर या अपने रिश्तेदारों के स्थान आदि
 पर रात्रि प्रवास या देर रात किसी समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 A hostelite will not be allowed to go for night stay or attending any function in the late hours in their local guardians place or to their relatives place etc.
- माता-पिता, स्थानीय अभिभावकों और अन्य रिश्तेदारों को अपने वार्ड के कमरे में जाने की अनुमित नहीं है। वे केवल छात्रावास के स्वागत क्षेत्र में ही मिल सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं।

Parents, Local guardians and other relatives are not allowed to go in their wards room. They can meet or interact only at girls' hostel reception area.

 सभी छात्रावासियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन डिलीवरी, भोजन पार्सल आदि के समय बहुत सावधान रहें क्योंकि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उन्हें छात्रावास परिसर में अनुमति नहीं है।
 All Hostelite are advised to be very careful while dealing with online deliveries, food parcels etc. as they are not allowed in the hostel campus for security purpose.

11. फर्नीचर और उपकरण : FURNITURE AND EQUIPMENT

प्रत्येक छात्रा को एक बिस्तर, स्टडी टेबल, कुर्सी, सॉफ्ट बोर्ड, सभी इलेक्ट्रिक फिक्स्चर जैसे ट्यूब लाइट, पंखा, एयर कंडीशनर (एसी आवास के मामले में) आदि, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल और 6 हुक रेल हैंगर प्रदान किए जाते हैं। छात्रा उन्हें दी गई वस्तुओं के लिए जिम्मेदार होंगे। फर्नीचर को एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं ले जाना चाहिए। कमरे में पेंटिंग की अनुमित नहीं है। प्रत्येक छात्रावासी को यह देखना होगा कि छात्रावास की संपति/फिटिंग को कोई नुकसान न हो, और किसी भी क्षिति (जानबूझकर या लापरवाही से) के लिए मरम्मत शुल्क संबंधित छात्रा से वसूला जाए।

Every Hostelite is provided with a Bed, Study Table, Chair, Soft board, All electric fixtures like tube light, fan, air conditioner (in case of AC accommodation) etc, Almirah, Dressing Table and 6 Hook Rail Hanger. Student will be responsible for the items given to them. Furniture is not to be removed from one room to another. No painting of room is allowed. Every hostelite has to see that not any damages are done to the hostel property/fittings, and repair charges for any damaged (intentionally or through negligence) are to be recovered from the concerned student.



अलमारी/ALMIRAH

12. संस्थान के छात्रावास से निकासी और निष्कासन WITHDRAWAL AND REMOVAL FROM THE INSTITUTE HOSTEL

• सामान्य आवंटन के बाद, छात्रावास से वापसी के लिए आवेदन पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और छात्रावास वार्डन को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसा आवेदन छात्रावास के बकाया भ्गतान के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

After the general allotment, application for withdrawal from the hostel should be countersigned by the father/guardian and submitted to the hostel warden. Such application should be presented after hostel dues have been cleared.

- भले ही छात्रावासी ने वास्तव में अपना कमरा खाली कर दिया हो, फिर भी उसे अपने नाम के सामने आने वाले हॉस्टल के सभी बकाया और जुर्माने का भुगतान उस दिन तक करना होगा, जब तक कि उसका नाम औपचारिक रूप से वापस नहीं ले लिया जाता।
 - Even if the hostelite has actually vacated her room, she will have to pay all the hostel dues and fines standing against her name up to the day she continues to be on the rolls, until her name is formally withdrawn.
- जो छात्रा निर्धारित तिथि तक अपना बकाया जैसे हॉस्टल, मेस, कैंटीन, जुर्माना आदि का भुगतान नहीं करते हैं, उन्हें अगले सेमेस्टर के लिए तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वे अपने सभी बकाया का भुगतान नहीं कर देते और छात्रावास वार्डन से "नो इ्यूज सर्टिफिकेट" प्राप्त नहीं कर लेते। उन छात्रों के मामले में जिन्हें अपनी डिग्री पूरी करने के बाद या अन्यथा संस्थान छोड़ना है, उनके परिणाम के साथ-साथ अनंतिम प्रमाणपत्र/डिग्री को नो इ्यूज़ प्रमाणपत्र प्रस्तुत होने तक रोक दिया जाएगा।

Students who do not clear their dues such as dues of the Hostel, Mess, canteen, fine, etc. by the prescribed date, will not be registered for the subsequent semester until and unless they clear all their dues and get "No Dues Certificate" from the concerned Hostel Warden. In the case of those students who are to leave the Institute after completing their degree requirement or otherwise, their results as well as the provisional certificates/degrees will be withheld till No Dues Certificate is produced.

 कोई भी छात्रावासी व्यक्तिगत रूप से कमरे का प्रभार सौंपे बिना छात्रावास नहीं छोड़ेगा; यदि कोई नुकसान हुआ तो उसकी वसूली उनसे की जाएगी।

No Hostelites shall leave the hostel without personally handing over the charge of the room; loss, if any, will be recovered from her.

13. छात्रावास शुल्क वापसी नियम HOSTEL FEE REFUND RULE

- एक बार भुगतान की गई छात्रावास फीस वापस नहीं की जाएगी। हालाँकि, रिफंड नीति में एक अपवाद होगा कि यदि छात्रा किसी अन्य निफ्ट केंद्र में स्थानांतिरत हो जाती है तो नियम के अनुसार छात्रा को पैसा वापस कर दिया जाएगा।
 - Hostel fees once paid will not be refunded. However, there would be an exception for the refund policy that if the student gets transferred to another NIFT center then the money would be refunded to the student as per rule.
- यदि छात्रावास में शामिल होने से पहले प्रवेश वापस ले लिया जाता है, तो गैर-वापसी योग्य सुरक्षा जमा को छोड़कर, पूरा छात्रावास शुल्क वापस कर दिया जाएगा; और छात्रावास में शामिल होने के एक महीने के भीतर निकासी के मामले में, गैर-वापसी योग्य सुरक्षा को छोड़कर छात्रावास शुल्क का केवल 50% वापस किया जाएगा और छात्रावास में शामिल होने के एक महीने के बाद वापसी के मामले में, केवल वापसी योग्य स्रक्षा जमा राशि वापस की जाएगी।

Full hostel charges shall be refunded, except non-refundable security deposit, if admission is withdrawn before joining the hostel; and in case of withdrawal within one month of joining the hostel, only 50% of the hostel charges excepting non-refundable security shall be refunded and in case of withdrawal after one month of joining the hostel, only refundable security deposit shall be refunded.

14. सुरक्षा जमा राशि की वापसी-: REFUND OF SECURITY DEPOSIT:-

• छात्रावास में प्रवेश के समय भुगतान की गई फीस का सुरक्षा जमा घटक पाठ्यक्रम पूरा होने पर या उस तारीख से जब वह निफ्ट छात्रावास की निवासी नहीं रहेगी छात्राओं को वापस कर दिया जाएगा। पाठ्यक्रम पूरा होने या छात्रा के छात्रावास छोड़ने की तारीख से छह महीने के बाद धन वापसी के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जो छात्रा पाठ्यक्रम के दौरान निफ्ट छोड़ देते हैं या जिन्हें किसी भी कारण से निफ्ट छोड़ने के लिए कहा जाता है, वे सुरक्षा जमा की वापसी योग्य राशि को छोड़कर छात्रावास श्ल्क वापस करने के हकदार नहीं होंगे।

The Security Deposit component of the fee paid at the time of admission in the hostel is refundable to students on completion of the course or from the date she ceases to be a resident of NIFT hostel. No request for refund would be entertained after six months from the date of completion of the course or the student leaving the Hostel. Students who leave NIFT during the course or who are asked to leave NIFT for what so ever reasons will not be entitled to refund of hostel fees, except the amount of the refundable of Security Deposit.

15. अवकाश नियम/LEAVE RULES:

 संस्थान से अनुपस्थिति के लिए स्वीकृत अवकाश का मतलब छात्रावास से अवकाश नहीं है।
 छात्रावास से एक या अधिक रातों के लिए अवकाश छात्रावास वार्डन की पूर्व अनुमित से ली जानी चाहिए।

Leave sanctioned for absence from the Institute does not mean leave from the Hostel. Leave from the Hostel for one or more nights must be taken with prior approval by the Hostel Warden.

• छात्राओं को जाने से 24-48 घंटे पहले ऑनलाइन नाइट आउट फॉर्म भरना होगा और वार्डन को ईमेल आईडी-leave.girlshostel.mumbai@nift.ac.in पर भेजना होगा और अपने माता-पिता को CC में रखना होगा। पंजीकृत नंबरों से एसएमएस/व्हाट्सएप प्राप्त होने के बाद वार्डन अवकाश की मंजूरी देंगी। छात्राओं को अनुमोदित नाइट आउट का प्रिंटआउट लेना होगा और सुरक्षा गार्ड को जमा करना होगा और नाइट आउट रिजस्टर में आवश्यक प्रविष्टि करनी होगी। किसी भी स्थिति में छात्राओं को तुरंत नाइट आउट की अनुमित नहीं मिलेगी। आपातकालीन स्थिति में वार्डन सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन नाइट आउट की मंजूरी का निर्णय लेंगी।

Students will have to fill online night out form 24-48 hrs before going and send to the warden in the email id- leave.girlshostel.mumbai@nift.ac.in & should copy to her parents also. After receiving SMS/WhatsApp from the registered numbers warden would approve the night out. The students should take the printout of approved night out and submit to the security guard and do the necessary entry in the Night out register. Under no circumstances students will get permission for night out instantly. In case of emergency situation warden would take the decision for approval of night out subject to approval of Competent Authority.

- छात्रावास परिसर से बिना बताए अनुपस्थिति को नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई के अंतर्गत
 माना जाएगा।
 - Uninformed absence from the hostel premises will be termed under disciplinary action as per rules.
- लगातार अवकाश की अनुमित नहीं दी जाएगी और स्थानीय क्षेत्र में छात्राओं को सुरक्षा दृष्टि से रात 8 बजे से पहले जाना होगा।

No continuous night outs will be allowed and in local area students should go before 8pm for security purpose.

• यदि छात्रा छुट्टी पर हैं तो उन्हें छात्रावास की मेस और अन्य सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमित नहीं होगी।

<u>If students are on night out (Leave) then they will not be allowed to use mess and other facilities</u> of the hostel.

16. अवकाश आवेदन का डिजिटलीकरण

Digitalization of Leave Application

आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब हम अवकाश आवेदन का एक नया संस्करण पेश कर रहे हैं जो बहुत सुविधाजनक और परेशानी मुक्त है। यह छात्राओं, अभिभावकों और छात्रावास वार्डन के बीच बेहतर संचार में मदद करता है। इससे कागज और समय दोनों की बचत होती है। Happy to inform you that we are now introducing a new version of Leave Application which is very convenient and hassle free. It helps better communication between students, parents and hostel warden. It saves paper and time.

अवकाश के आवेदन के लिए छात्राओं को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा-: The following are the steps which the students have to follow for leave application:-

- छुट्टी का आवेदन www.nift.ac.in/mumbai/hostels पर उपलब्ध है, छात्राओं को यह फॉर्म पूरा भरना होगा और अपनी निफ्ट ईमेल आईडी से leave.girlshostel.mumbai@nift.ac.in पर भेजना होगा और अपने माता-पिता की पंजीकृत ईमेल आईडी को भी CC मे रखना होगा।

 The leave application is available at www.nift.ac.in/mumbai/hostels, students must complete this form and send to leave.girlshostel.mumbai@nift.ac.in from her NIFT email id & copy to their parents registered email ld.
- छात्राओं को छात्रावास छोड़ने के निर्धारित समय से 24 घंटे या 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा। Students have to apply 24hrs or 48hrs before scheduled leaving time of the hostel
- पंजीकृत मोबाइल नंबर से एसएमएस/व्हाट्सएप प्राप्त होने के बाद छुट्टी की मंजूरी छात्राओं और अभिभावकों की ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी।
 After receiving SMS/WhatsApp from the registered mobile number the leave approval will be send to the students and parents email Id.
- छात्रावास छोइते समय छात्राओं को स्वीकृत अवकाश की एक मुद्रित प्रति महिला सुरक्षाकर्मी को सौंपनी होगी।

At the time of leaving the hostel, students are required to present a printed copy of the approved leave and submit to the lady security guard.

- छात्राओं को नाइट आउट रजिस्टर में आवश्यक विवरण भरना होगा।
 Students must fill the required details in the Night Out register.
- अवकाश से लौटने के बाद छात्राओं को अवकाश समाप्त करके और अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।

After returning from the leave, students should close their leave and mark their attendance.

17. अनुशासन और शिकायतें: DISCIPLINE AND COMPLAINTS:

- अनुशासनात्मक कार्रवाई के सभी मामले छात्रावास समिति के माध्यम से देखे जाएंगे। All matters of disciplinary action shall be taken up through hostel committee.
- छात्राओं से उत्तम अनुशासन और उचित वातावरण बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।
 Students are expected to maintain perfect discipline and proper atmosphere.
- सभी प्रकार की चीखपुकार-, हिंसा, खटखटाना, या कोई अन्य गतिविधि या व्यवहार जिससे अशांति या झुंझलाहट होने की संभावना हो, सख्त वर्जित है।
 All kind of shouting, violence, knocking, or any other act of movement or behavior that is likely to cause disturbance or annoyance is strictly prohibited.
- साथी छात्राओं और अन्य लोगों के साथ व्यवहार बहुत विनम्न होना चाहिए। साथी छात्रावासियों के साथ किसी भी झगड़े और विवाद से बचना चाहिए। छात्राओं को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और अपने पूरे विवाद को हॉस्टल वार्डन की मदद से ही सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। Dealing with fellow students and other should be very courteous and polite. Any quarrels and disputes with fellow Hostelites should be avoided. Students should not take law in their hands and should try to settle their entire dispute with the help of the Hostel warden only.
- नए प्रवेशित छात्राओं के साथ छेड़छाड़, दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार की रैगिंग में शामिल होना सख्त वर्जित है। दोषी छात्राओं के विरुद्ध गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। Teasing, Maltreating or indulging in any sort of ragging of newly admitted students is strictly prohibited. Serious disciplinary action will be taken against the defaulting students.
- डाइनिंग हॉल, कॉमन रूम और कैंटीन में और हॉस्टल परिसर के बाहर हमेशा उचित पोशाक में आना चाहिए।
 Visiting in Dining Hall, the common room, and the canteen and outside the hostel campus should always be in proper dress.
- छात्रावास के कर्मचारियों, महिला गार्डों और मेसक-र्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करना सख्त वर्जित
 है। उनके खिलाफ कोई शिकायत होने पर हॉस्टल वार्डन को रिपोर्ट देनी होगी।
 Maltreating and abusing the hostel employees, lady guards and mess-staff is strictly prohibited.
 In case of any complaint against them, the report should be made to the Hostel warden.
- उपयोग में न होने पर लाइट, पंखे, एसी बंद कर देना चाहिए।
 Lights, Fans, AC must be switched off when not in use.
- छात्रावासियों से अपेक्षा की जाती है कि वे छात्रावास परिसर में स्वीकार्य व्यवहार और शिष्टाचार प्रदर्शित करें।

Hostelites are expected to display acceptable form of behavior and decorum in the Hostel Complex.

- छात्रावास परिसर के अंदर और परिसर में किसी भी समय धूम्रपान की अनुमित नहीं है। Smoking is not allowed in the Hostel Complex/Campus at any time inside as well as in the premises.
- छात्रावास पिरसर में मादक पेय, प्रतिबंधित दवाएं, तंबाकू रखने, वितरण और उपभोग की अनुमित नहीं है।

Possession, distribution and consumption of alcoholic beverages, prohibited drugs, chewable tobacco in the Hostel Complex/campus is not allowed.

- छात्रावास परिसर में पार्टियों, सामाजिक या राजनीतिक समारोहों की अनुमित नहीं है। Parties, Social or political gatherings in the hostel complex are not permitted within hostel premise.
- छात्रावास परिसर एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां छात्राओं को पढ़ाई और पर्याप्त आराम के लिए सर्वोत्तम संभव स्थितियां मिल सकें। ऐसे में हर समय अन्य छात्रावासियों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरों को आराम से पढ़ने या सोने का अवसर देने के लिए शोर का स्तर कम रखा जाना चाहिए। इन नियमों का उद्देश्य सभी छात्रावासियों के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना है।

A Hostel Complex should be a place where students can have the best possible conditions for studying and adequate rest. As such due consideration must be accorded to other hostelites at all times. Noise level must be kept low to allow other's the opportunity to study or sleep in comfort. These rules are intended to ensure a conducive environment for all hostelites.

- छात्रावासियों को रात 9:30 बजे के बाद किसी अन्य छात्रा के कमरे में जाने की अनुमति नहीं है। Hostelites are not allowed to visit another student's room after 9:30pm.
- 18. कमरा बदलने का अनुरोध-आम तौर पर आवंटन पूरा हो जाने के बाद कमरा बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि रूम पार्टनरों के बीच कोई गंभीर मुद्दा है तो उन्हें कारण के साथ अलग-अलग ईमेल भेजना होगा और छात्रावास समिति उसी के बारे में निर्णय लेगी। यदि कमरा बदलने का अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है तो जिस छात्रा का कमरा बदला जाएगा उसे निफ्ट लेखा विभाग को नई छात्रावास आईडी के लिए 295/- रुपये जमा करने होंगे।

ROOM CHANGE REQUEST- Generally Room change request will not be considered once the allotment has been completed. If in case any serious issue between/among room partners then they have to send separate emails with the reason and the hostel committee will decide about the same. In case the room change request accepted then student whose room will be changed have to submit Rs295/- for new hostel ID to NIFT accounts department.

- 19. अनुशासनात्मक कार्यवाही-: DISCIPLINARY ACTIONS:-
- अ) लघु अनुशासनात्मक उल्लंघन के लिए: जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा उल्लंघन को माम्ली माना जाता है, वहां लघु अनुशासनात्मक उल्लंघनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर निम्नलिखित दंड लगाए जा सकते हैं:

<u>For Minor Disciplinary Violation</u>: Where the violation is considered minor by the competent authority, the following penalties may be imposed at the discretion of the competent authority for the minor disciplinary violations:

- प्रत्येक उल्लंघन/अपराध के लिए लागू INR 10,000.00 + जीएसटी तक का जुर्माना
 A fine of upto INR 10,000.00 + GST, as applicable for each violation/ offence
 - और/AND/OR
 - छात्रा किसी हाथापाई की स्थिति में किसी खोई या क्षितिग्रस्त संपित या चिकित्सा व्यय पर किए गए किसी भी नुकसान की लागत का भुगतान करता है। व्यय निफ्ट/तीसरे पक्ष या सहायक संगठन द्वारा किया गया हो सकता है और उल्लंघनकर्ता को उल्लंघन के लिए निफ्ट को भुगतान करना होगा। इसे निफ्ट कैंपस के संयुक्त निदेशक/निदेशक द्वारा अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर छात्र द्वारा जमा किया जाएगा।

A requirement that the student pays the cost of any damage in relation to any property lost or damaged or any expenditure incurred on medical expenses in case of a scuffle. The expenditure may have been incurred by NIFT/third party or subsidiary organization and will have to be paid by the violator/s to NIFT for the violation. The same shall be deposited by the student within five days of the notification by the Joint Director/Director of NIFT Campus

- और/AND/OR
- चेतावनी/निंदा: पहले अपराध के लिए छात्रा को जारी की जाने वाली चेतावनी को छात्रा के रिकॉर्ड में नहीं रखा जा सकता है। हालाँकि, दोबारा अपराध करने की स्थिति में, निंदा को छात्रा के रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सकता है और बड़े दंड के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

Warning/Censure: A warning to be issued to the student for first offence may not be placed in the student's record. However, in case of a repeat offence, the censure may be placed on the student's record and may invite action under major penalties.

- आ) प्रमुख अनुशासनात्मक उल्लंघन के लिए : जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा उल्लंघन को बड़ा माना जाता है, वहां प्रमुख अनुशासनात्मक उल्लंघनों के लिए निम्नलिखित दंड लगाए जा सकते हैं:

 For Major Disciplinary Violation: Where the violation is considered to be major by the competent authority, the following penalties may be imposed for the major disciplinary violations:
- संस्थान से निलंबन/प्रतिबंध, जहां छात्रा को 'पर्सोना-नॉन-ग्रेटा' घोषित किया जाएगा और परिसर, सुविधाओं में प्रवेश करने और कक्षाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा। Suspension/debarment from the institute, where the student will be declared 'persona-non-grata' and will be debarred from entering the premises, facilities and from attending the classes.

- संस्थान से स्थायी निष्कासन।
 Permanent expulsion from the institute.
- कार्रवाई का कोई अन्य तरीका जो परिस्थितियों में उचित हो।
 Any other course of action which may be reasonable in the circumstances.
- (रात 9:00 बजे से 10:00 बजे के बीच) 3 बार देर से प्रविष्टियाँ मामूली अनुशासनात्मक उल्लंघन मानी जाती हैं और 1 बार अत्यधिक देर (रात 10 बजे के बाद) या बिना अनुमोदन के नाइट आउट भी मामूली अनुशासनात्मक उल्लंघन के अंतर्गत आता है। यदि इसकी पुनरावृत्ति होती है तो यह स्वतः ही बड़े अनुशासनात्मक उल्लंघन के अंतर्गत आ जाता है।

3 times late entries between (9:00pm to 10:00pm) are considered Minor Disciplinary Violation and 1 time extreme late (after 10pm) or without approval Night out also comes under Minor Disciplinary Violation. If it repeats then it automatically comes under Major Disciplinary Violation.

20. रैगिंग/RAGGING:

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शायद रैगिंग का अधिक व्यापक अर्थ इस प्रकार दिया है "रैगिंग कोई भी उच्छुंखल आचरण है, चाहे वह बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा या किसी कार्य द्वारा किया जाता है, जिसका प्रभाव किसी के साथ छेड़छाड़, व्यवहार या अशिष्टता से निपटने का होता है। छात्र, उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों में शामिल होना, जो किसी नए या कनिष्ठ छात्र में झुंझलाहट, कठिनाई या मनोवैज्ञानिक क्षति का कारण बनता है या होने की संभावना है या भय या आशंका पैदा करता है और जिसका प्रभाव शर्म या शर्मिंदगी की भावना पैदा करने या उत्पन्न करने का होता है। किसी नए या जूनियर छात्र के मानस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।"

The Hon'ble Supreme Court of India perhaps given a more comprehensive meaning of ragging as under :- "Ragging is any disorderly conduct whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness to any student, indulging in rowdy or undisciplined activities which cause or likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in a fresher or a junior student and which has the effect of causing or generating a sense of shame or embarrassment so as to adversely affect the psyche of a fresher or a junior student."

छात्राओं को सज़ा/PUNISHMENTS TO THE STUDENTS

- प्रवेश रदंद करना/ Cancellation of admission
- कक्षाओं में भाग लेने से निलंबन/ Suspension from attending classes
- छात्रवृत्ति/फ़ेलोशिप और अन्य लाभों को रोकना/ वापस लेना
 Withholding/withdrawing scholarship/fellowship and other benefits
- किसी भी परीक्षा या अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल होने से रोकना/Debarring from appearing in any test/examination or other evaluation process

- परिणाम रोकना/ Withholding results
- छात्रा को किसी भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या युवा उत्सव/ कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व करने से रोकना।

Debarring the student from representing in any national, international or youth festival/events.

- छात्रावास से निलंबन/ Suspension from hostel
- वर्ष की अवधि के लिए संस्था से प्रतिबंध 4 से 1/Restriction from institution for a period of 1 to 4 years
- किसी संस्थान से निष्कासन और किसी अन्य संस्थान में प्रवेश पर रोक।
 Expulsion from an institution and debarring from admission in any other institution.
- 25,000/- रूपये तक का जुर्माना/ Fine up to Rs. 25,000/-

21. सुरक्षा/SECURITY:

- छात्रावासियों को छात्रावास परिसर में हर समय अपना छात्रावास कार्ड रखना होगा और छात्रावास अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत करना होगा।
 Hostelites are required to carry their hostel card at all times in the compound of the hostel complex and produce it on demand by the hostel authorities.
- सुरक्षा कारणों से छात्रावासियों को हर समय सभी दरवाजे बंद रखने की सलाह दी जाती है। छात्राओं को तीन चाबियों वाले अपने स्वयं के ताले का उपयोग करना चाहिए, जिनमें से एक चाबी सुरक्षा कारणों/आपातकालीन मामलों के लिए छात्रावास वार्डन को जमा करनी होगी।

 Hostelites are advised to lock all doors at all times for security reason. Students should use their own lock with three keys set, out of which one key should be submitted to hostel warden for security reason/emergency cases.
- छात्रावास प्रबंधन निजी संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है। छात्रावासियों को दढ़तापूर्वक सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी कीमती सामान जैसे भारी राशि/नकद, मोबाइल फोन, लैपटॉप, घड़ियाँ, नकदी, पैसे, गहने आदि को हर समय बंद रखें।

 The Hostel management is not responsible for any loss of private property. Hostelites are strongly advised to lock all their valuables e.g. heavy cash, mobile phones, laptops, watches, cash, money, ornaments etc. at all times.
- हॉस्टलर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने कमरों में मूल्यवान वस्तुएं/भारी नकदी न रखें। यदि वे ऐसा करते हैं, तो यह पूरी तरह से उनके अपने जोखिम पर होगा। संस्थान किसी भी क्षति/चोरी या निवासियों के निजी सामान की किसी हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। उन्हें अपने कमरे को ठीक से बंद करने की भी सलाह दी जाती है।

The hostellers are advised not to keep valuable articles/ heavy cash in their rooms. If they do so, it will be entirely at their own risk. The Institute shall not be responsible for any damage / theft or

any loss of the personal belongings of the residents. They are further advised to lock their rooms properly.

 यदि कोई छात्रावासी अपने रूम-मेट को 6 घंटे से अधिक समय से गायब पाता है, तो उसे तुरंत वार्डन को रिपोर्ट करना होगा। इसका उद्देश्य छात्रावास प्रबंधन को किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए तत्काल कार्रवाई करने में सक्षम बनाना है। छात्रावासियों का सहयोग अत्यंत सराहनीय है।

Any hostelite who find her room-mate missing for more than 6 hours, must report to the warden immediately. This is to enable the hostel management to take immediate action if any to avoid any untoward incident. Hostelites co-operation is very much appreciated.

 छात्रावासियों को कमरा बदलने या अपने कमरे के अलावा किसी अन्य के कमरे में सोने की अनुमित नहीं है।

Hostelites are not permitted to change rooms or sleep in other's room than in their own room.

• छात्रावास में आग्नेयास्त्रों, एयर गन सहित घातक हथियारों, प्रतिबंधित दवाओं, जहरीली और खतरनाक सामग्री का कब्ज़ा, वितरण और उपयोग सख्त वर्जित है। कमरे में बिजली के उपकरण जैसे लोहा, ओवन, केतली, स्टोव, मिनी फ्रिज, मिनी कूलर आदि रखना भी वर्जित है। यदि उपरोक्त में से कोई भी सामग्री कमरे में पाई जाती है, तो उसे छात्रावास प्रबंधन द्वारा तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और भविष्य में इसके किसी भी उपयोग से बचने के लिए किसी भी स्थित में छात्रों को वापस नहीं किया जाएगा।

Possession, distribution and use of fire-arms, lethal weapons including air gun, contraband drugs, toxic and hazardous material are strictly prohibited in the hostel. Keeping electric appliances such as iron, oven, kettle, stove, mini-fridge, mini-cooler etc. in the room is also prohibited. If any of the above material is found in the room, the same shall be immediately confiscated by the hostel management and shall not be returned in any case to the students to avoid any future usage of the same.

• रात 11 बजे के बाद बाहरी भोजन और देर रात के किसी भी पार्सल की अनुमित नहीं है, एहितियात के तौर पर रात 11 बजे से पहले प्राप्त होने वाले बाहरी भोजन/खाद्य पदार्थों को भी सुरक्षा गार्ड रिजस्टर में विधिवत दर्ज/हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

Outside food after 11pm and any late night parcels are not allowed, as a precautionary measure outside food/ eatables which are received before 11pm should also be duly entered/signed at the security guard register.

22. नियमों और विनियमों की समीक्षा:

REVISION OF RULES AND REGULATIONS:

 निफ्ट मुंबई समय-समय पर नियमों और विनियमों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और हॉस्टल नोटिस बोर्ड पर नोटिस के रूप में हॉस्टलवासियों को किसी भी बदलाव के बारे में सूचित रखेगा। नियमों की अज्ञानता का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

The NIFT Mumbai reserves the right to revise the rules and regulations from time to time and will keep the hostelites informed of any changes in the form of notices on the hostel notice boards. Ignorance of rules will not be accepted as an excuse.

23. कोविड प्रोटोकॉल/COVID PROTOCOL:

• छात्रावासियों को जानबूझकर कोविड 19-संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है, जो निफ्ट मुंबई प्रशासन द्वारा जारी किए-जाते हैं। Hostelites are advised to deliberately follow covid-19 related guidelines, which is being issued by

NIFT-Mumbai administration.

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY मुंबई छात्रावास आवास के लिए प्रपत्र FORM FOR MUMBAI HOSTEL ACCOMMODATION शैक्षणिक वर्ष 25-2024

Academic Year 2024-25

महत्वपूर्ण निर्देश:

Important Instructions:

- कृपया किसी भी विवरण के लिए प्रवेश विवरणिका, 2024 में दिशानिर्देश देखें। Please refer to the Guidelines in the Admission Prospectus, 2024 for any details.
- छात्रावास में प्रवेश पहले आओ पहले पाओ भुगतान के आधार पर प्रदान किया जाता है।
 Admission in Hostel is provided on First Come First Serve basis.
- विधिवत भरा हुआ छात्रावास आवास फॉर्म निफ्ट, मुंबई के वार्डन को जमा/सौंप दिया जाना चाहिए। Duly filled in the Hostel Accommodation Form should be submitted/handed over to the Warden of NIFT, Mumbai

मैं सुश्री		(छात्रा का नाम)
		(माता/पिता का नाम)
ने शैक्षणिक वर्ष जुलाई, 2024 के लिए	τ	(*पाठ्यक्रम) में प्रवेश प्राप्त कर
लिया है, आपसे अनुरोध है कि कृपया	। मुझे छात्रावास (गल्स	र्स हॉस्टल) आवंटित करें, मैं निफ्ट-हॉस्टल के
नियमों और विनियमों का पालन करूं	-	
(*पाठ्यक्रम - एम.डेस./एमएफएम/एफड	डी/केडी/एफसी/टीडी/एडी/	ं/बीएफटी)
l Ms	D/o_	
would request you to kindly allot me H Hostel Accommodation.(*Course – M छात्रा के हस्ताक्षर/Students's Signatur	Hostel (Girls Hostel), I v .Des./MFM/FD/KD/FC, e:	,
अभिभावक के हस्ताक्षर/Parent's Signa	iture:	
	दिनांक/Date :	स्थान/Place :

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई छात्रावास नियम एवं विनियम2024-NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, MUMBAI HOSTEL RULES AND REGULATIONS-2024

छात्रावास के नियम एवं विनियम HOSTEL RULES AND REGULATIONS

- 1) छात्रावास आवंटन पूर्ण भुगतान प्राप्त करने पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होता है।
 - Hostel allocation is on first come first serve basis on receiving full payment.
- 2) छात्रावास को समय से पहले सरेंडर करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। No request for premature surrender of the hostel will be entertained.
- 3) एक बार जमा की गई छात्रावास फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। Hostel fees once deposited will not be refunded under any circumstances.
- 4) कृपया नाइट आउट अनुरोध के लिए 09769210751 पर एसएमएस अग्रेषित करें। संदेश केवल छात्रावास प्रवेश के समय दिए गए पंजीकृत नंबर (पिता/माता/एलजी का नंबर) द्वारा ही भेजा जाना चाहिए। किसी अन्य नंबर से कोई संदेश स्वीकार नहीं किया जाएगा। विवरण में छात्र का नाम, कमरा नंबर, यात्रा का स्थान और (दिनांक और समय) से (दिनांक और समय) तक रहने की अविध आवश्यक है। नाइट आउट पर जाने से 24-48 घंटे पहले अनुमित लेनी होगी। पंजीकृत नंबरों से संदेश मिलने के बाद ही वार्डन नाइट आउट की मंजूरी देंगी। कुछ मामलों में हम पुष्टि के लिए माता-पिता को भी बुला सकते हैं।

Kindly forward SMS on 09769210751 for Night Out Request. Message should be sent only by the registered number given at the time of Hostel admission (Father/Mother/LG's number). No messages would be accepted from any other numbers. Details required student's name, room no., place of visit and period of stay from (date and time) to (date and time). Night out permission should be taken 24-48 hrs before going. Warden will approve night out only after receiving messages from registered numbers. In some instances we may also call parents for confirmation.

09.00pm at night.

5) छात्रों को सुबह 7.00 बजे के बाद ही छात्रावास छोड़ने की अनुमति होगी और रात 09.00 बजे तक वापस लौटना होगा।

Students will be allowed to leave hostel only after 7.00am and should return back by

वचन/Undertaking

में,	डी ओ/_		
एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूं और	वचन देती हूं वि	के:	
l, D	/o	do	hereby
solemnly affirm and undertake that:			

 मैं शराब, िकसी भी प्रकार की नशीली दवाओं जैसे गुटखा, तम्बाक्, सिगरेट, च्यूइंग गम या िकसी अन्य शामक सामग्री सिहत िकसी भी प्रकार के नशे की सामग्री को अपने पास नहीं रखूंगी, इसका उपयोग या लेनदेन नहीं करूंगी और दोषी पाए जाने पर संस्थान मेरे विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई, निष्कासन सिहत कर सकता है।

I shall not possess, use or deal with any kind of intoxication material including alcohol, drugs of any kind like gutka, tobacco, cigarettes, chew gums or any other sedative materials and on being found guilty, the institution may take any disciplinary action(s), including rustication/expulsion, against me.

- मैं लाठी, डंडे, विस्फोटक, आतिशबाजी या किसी भी सामग्री सहित किसी भी प्रकार के हथियार को अपने पास नहीं रखूंगी, उपयोग नहीं करूंगी या उपयोग के लिए प्रेरित नहीं करूंगी और दोषी पाए जाने पर संस्था निष्कासन सहित कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। I shall not possess, use or abet the use of any kind of weapons including sticks, rods, explosives, firework or any material and on being found guilty, the institution may take any disciplinary action(s), including rustication/expulsion, against me.
- संस्थान की संपित को मेरे द्वारा अकेले या अन्य लोगों के साथ संयुक्त रूप से पहुंचाई गई किसी
 भी क्षिति के लिए मैं भुगतान करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए
 उत्तरदायी रहूँगी।
 - I shall be liable to pay for any damage caused by me to the property of the Institution either alone or jointly with others and face disciplinary action.
- मुझमें आत्महत्या करने या किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने या कुछ भी अनुचित और या कानून द्वारा निषिद्ध या अन्यथा करने का कोई प्रयास नहीं/करूंगी और आत्महत्या करने के लिए किसी भी प्रकार की धमकी नहीं दूंगी और या उपरोक्त कार्रवाई का दोषी पाए जाने पर, कानून के तहत किसी भी परिणाम और संस्थान से निष्कासन और कानून या भूमि के तहत किसी भी अन्य कानूनी कार्रवाई के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगी। प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

I do not have the tendency, and shall not make any attempt, to commit suicide or abetting or inciting any other person to commit suicide or anything unwarranted and /or prohibited by law or otherwise and shall not give any sort of threats to commit suicide and or being found guilty of the aforesaid action, I myself shall be responsible for any consequences under law and the expulsion/rustication from the institution and any other legal action under the law or land. The management shall not be responsible for the same.

- मैं संस्थान की लिखित मंजूरी के बिना दान, अंशदान/सभा सिहत किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी छात्र(छात्रों), कर्मचारी (कर्मचारियों) से अतिरिक्त धन नहीं रखूंगी।
 I shall not keep excess any money from any student(s), employee(s) for any purpose including donations, contributions/gathering without written approval of the institution.
- मैं किसी भी अनिधकृत व्यक्ति को अपने कमरे में प्रवेश करने या रहने की अनुमित नहीं दूंगी। I shall not allow any unauthorized person to enter or stay in my room.
- मैं इलेक्ट्रिकल गैजेट जैसे आयरन, हीटर, ऑडियो प्लेयर, इलेक्ट्रिक केतली, जूसर, इंडक्शन, टेबल पंखा, कूलर आदि का उपयोग करके बिजली का दुरुपयोग नहीं करूंगी।
 I shall not misuse electricity by using electrical gadget like irons, heaters, audio players, electric kettles, juicers, induction, table fan, cooler etc.
- यदि मैं बिना अनुमित के छात्रावास से अनुपस्थित रहती हूं, तो मैं अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूं, जिसके तहत छात्रावास/ संस्थान से मेरा निष्कासन भी हो सकता है।

 If I am absent from the hostel without permission, I am liable for disciplinary action, which may amount to my rustication/expulsion from the hostel/institution also.
- यदि उपस्थित की कमी या किसी भी अन्य कारण से विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है या किसी भी समय संस्थान के अधिकारियों द्वारा आदेश दिया जाता है, तो मैं तुरंत छात्रावास खाली कर दूंगी, आगामी सत्रसेमेस्टर में छात्रावास / में पुनः प्रवेश केवल प्रबंधन के विवेक पर ही अनुमति दी जा सकती है। If declared ineligible for appearing in any examination of the University, on account of shortage of attendance or any other reason whatsoever or if ordered by the institution authorities at any time, I shall vacate the hostel immediately, Readmission to hostel in the forthcoming term/semester may be allowed only at the sole discretion of the Management.
- संस्थान द्वारा लिए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क और फीस समय- समय पर संशोधन के अधीन हैं और स्वीकार्य होंगे।
 All type of charges and fees as charged by the Institution are subject to revision from time to time and would be acceptable.

- उत्पन्न होने वाले किसी भी अप्रत्याशित मुद्दे के लिए, जो वचन पत्र में शामिल नहीं है, या यहां स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किए गए सभी मामलों के संबंध में, संस्थान एक उचित निर्णय ले सकता है जो मेरे और अन्य सभी संबंधितों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

 For any unforeseen issues arising, that is not covered by the Undertaking, or in respect of all the matters, not expressly provided herein, the institution may take an appropriate decision that shall be final and binding on me and all other concerned.
- मैं समझती हूं कि यदि मेरे द्वारा ऊपर दिया गया कोई भी बयान गलत पाया जाता है, तो देश के कानून के तहत कानूनी कार्रवाई के बावजूद प्रबंधन द्वारा तय की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई और/ या जुर्माना मुझ पर होगा। ऐसे मामले में, मेरे द्वारा जमा की गई छात्रावास शुल्क और अन्य श्लक जब्त कर लिया जाएगा।

I understand that if any of the statements made by me above is found incorrect, I shall be to such disciplinary action(s) and/or penalty as may be decided by the Management not withstanding legal action under the law of the land. In such case, the hostel fee and other charges deposited by me shall be forfeited.

 प्रबंधन के पास छात्रावास के समय सिहत प्रावधानों को बनाने, संशोधित करने, रद्द करने या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है और यह समयसमय पर प्रबंधन द्वारा तय किए गए अनुसार सभी -संबंधितों के लिए प्रभावी और बाध्यकारी होगा।

The Management reserves the right to frame, amend, revoke or repeal the Provisions including hostel timings and that will be effective and binding on all the concerned, as decided by the management from time to time.

जगह/Place:	
देनांक/Date:	
	—————————————————————————————————————
	(अभिभावक का नाम और हस्ताक्षर)

(Name and Signature of the parent)

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY कन्या छात्रावास, प्लॉट नं20 ., सेक्टर4-, खारघर, मुंबई 410210-GIRLS HOSTEL, PLOT NO. 20, SEC-4, KHARGHAR, MUMBAI -410210

कक्ष आवंटन सह वचन पत्र Room Allotment cum Undertaking

ਸੈ			(छात्रा का नाम),
			(अभिभावक का नाम) की
बेटी व	को पाठ्यक्रम <u></u>	बै	च में दाखिला दिया गया है, मुझे छात्रावास में कमरा
नंबर	आवंटित	न किर	ग गया है। आवास की अवधि के दौरान निफ्ट मुंबई द्वारा
निम्नर्ग	लेखित वस्तुएं अच्छी स्थि	ते में	प्रदान की गई हैं।
			_daughter ofadmitted
to cou	rse in batc	h	, have been allotted room noin
the ho	stel. The following items h	ave be	een provided in good condition by the NIFT Mumbai to
me du	ring by period of accommo	datio	n.
Sr	Description	Sr	Description
1	Bed	5	All electric fixtures like Tubelight, Fan, Air Conditioner
			with remote etc.
2	Study Table	6	Almirah
3	Chair	7	Dressing Table
4	Soft Board	8	6 Hook Rail Hanger

मैं वचन देती हूं कि मैं किसी भी छात्रावास की दीवार, कुर्सी, मेज, सॉफ्ट बोर्ड, अलमारी, लॉकर, दरवाजा, ड्रेसिंग टेबल, खिड़की या किसी भी संपत्ति को खराब नहीं करूंगी। यदि मैं किसी वस्तु को तोड़ती या क्षतिग्रस्त करती हूं, तो मैं सामग्री की कुल लागत और रुपये 1000/- + 18% जीएसटी का जुर्माना देने के लिए सहमत हूं। । इसके अलावा, मैं मौखिक और लिखित रूप से मुझे दिए गए छात्रावास के सभी मानदंडों का भी पालन करूंगी।

I hereby undertake that I will not spoil the wall, chair, table, soft board, almirah, locker, door, dressing table, window or any property of any hostel. If I break or damage any article, I agree to pay the total cost of the material and a fine of Rs. 1000/- + 18%GST. Further, I will also follow all the norms of the hostel given to me orally as well as in writing.

(दिनांक सहित छात्रा के हस्ताक्षर) (Signature of the Student with Date)

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY कन्या छात्रावास, प्लॉट नं20 ., सेक्टर4-, खारघर, मुंबई 410210-GIRLS HOSTEL, PLOT NO. 20, SEC-4, KHARGHAR, MUMBAI -410210

छात्रावास के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र MEDICAL CERTIFICATE FOR HOSTEL (केवल पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्राप्त किया जाना है) (To be obtained only from Registered Medical Practitioner)

छात्रा का नाम (बड़े अक्षरों में)
Student's Name (in Block Letters):
पिता का नाम
Father's Name:
मां का नाम
Mother's Name:
चिकित्सा विवरण/Medical Report
छात्रा का ब्लंड ग्रुप/ Blood Group of the Student:
ऊचाई/ Height: वज़न/ Weight:
हष्टि/ Vision: L: R:
श्रवण शक्ति/ Hearing:
AUST KIISCH TEATING.
कोई भी संक्रामकपुरानी बीमारी//Any Communicable/chronic disease:
3
कोई अन्य बीमारी:चिकित्सा इतिहास/
Any other disease/Medical History:

एलर्जी, यदि कोई हो/ Allergies, if any
किसी दवा से एलर्जी/ Any drug allergy
किसी बीमारी का पारिवारिक इतिहास
Family history of any illness:-
लम्बे समय से अस्पताल में भर्ती -:किसी बड़े चिकित्सीय ऑपरेशन का पिछला इतिहास/(कारण) Admitted in Hospital for long time (Reason)/Last history of any major medical operation:-
Admitted in Hospital for long time (Reason)/Last history of any major medical operation
कोई अन्य टिप्पणी Any other remarks:

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि सुश्री की बेटी	
निफ्ट गर्ल्स हॉस्टल में रह	
रूप से फिट/अनुपयुक्त है।	
I certify that Ms:	daughter of
is physically, mentally & psychologically fit/unfit for staying	ng in NIFT Girls Hostel.
	मुहर सहित हस्ताक्षर/Signature with seal
जगह/Place:	संदर्भ संख्या/ Ref. No:
दिनांक/Date:	पद/Designation:

ध्यान दें:- यदि छात्र शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है या उसे कोई गंभीर चिकित्सा समस्या है, तो उसे सभी मेडिकल कागजात की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी जमा करनी होगी और अनुलग्नक- । भी भरना होगा। Note:- If student is not physically fit or having any serious medical issue/s, need to submit hard copy & soft copy of all medical papers and also fill Annexure-I

अनुलग्नक-I/Annexure-I

मैं	स्वयं					(बीमारी	का	नाम)	से	पीड़ित	हूं	और	डॉ.	
				अ	म्पताल		ज	गह						. से
उपर	वाराधीन	न हूं।												
								hos	pital		•••••	••••••		••
plac	ce	•••••		•••••	•••••									
मेरे	पास इ	स छा	त्रावास के	अलाव	ा रहने का कोई	. अन्य विव	फ्रल्प व	नहीं है	और ह	भैं आप	को यह	इ.भी :	भाश्वा	सन
					आपातकालीन									
	- •				(पता)									
					उपस्थित नहीं									
	स्थित र		-11411 (1 -14	QI (IVI	3 117 471 470	(i ii(i ())	(II) I	V 411(11	90 1	911(1)	. • 1 \	11 (1	27 11	
		•	ntion to	stav ot	her than this h	ostel and I	also a	ssure v	ou th	at in ca	se of a	anv en	nerge	ncv
my			-	_				_				-	_	in
					••••••	and thei	cont	act nu	mber	•••••				
					ny reason my l	ocal guard	ian no	ot able	to pr	esent d	uring	my ill	ness,	my
-			ttend me									•		
मै र	समझते	ो हू वि	দ छাत्रावा	स प्रशा	सन को मेरे					•••••	(बीव	मारी व	न ना	ਸ)
से र	संबंधि त	चिकि	त्सा उपच	ार के '	लिए जिम्मेदार	नहीं ठहरा	या जाप	रगा।						
l u	nderst	and th	at Hoste	el Adm	in will not b	e held res	ponsi	ble for	med	dical tr	eatm	ent re	elated	to
my.		•••••			(Disease	name)								
									(दिनां	क सहि	त छा	त्रा के	हस्ता	क्षर)
									•	re of th			•	•
									-					,
								(3	ाभिभा	वक क	ा नाम	और	हस्ता	क्षर)

(Name and Signature of the parent)

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई छात्रावास आवास के लिए प्रपत्र शैक्षणिक वर्ष 25-2024

National Institute of Fashion Technology FORM FOR MUMBAI HOSTEL ACCOMMODATION Academic Year 2024-25

	==================================
सेवा में/то,	
निदेशक/The Director	
निफ्ट, मुंबई/NIFT, Mumbai.	
विषय: छात्रावास आवास के लिए अनुरोध - (लड़कियां) (ए	
Subject: Request for Hostel Accommodation-(Girls)(AC	_/Non AC/AC Dormitory/ Non AC Dormitory)
महोदय/ Sir,	
मेरी वार्ड स्श्री	(बड़े अक्षरों में) ने एम.
सुरक्षित कर लिया है।	, a de <u></u>
•	(in capital letters) has secured admission
in M. Des/MFM/FD/KD/FC/TD/AD/BFT(Tick the appropria	ate one) Semester
(बड़े अक्षरों में भरा जाए/To be filled in CAPITAL)	
पत्राचार के लिए स्थायी पता	पिता का नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल:
Permanent Address/Address for Correspondence	Father's Name, Tel No. & Email:
पिन नंबर:	
Pin No:	

छात्रा का नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल:	माता का नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल:
Student's Name, Tel No & Email:	Mother's Name, Tel No & Email:
पंजीकृत नाम और मोबाइल नंबर	
अवकाश की अनुमति के लिए:	
Registered Name & Mobile Numbers for	
Night Out Permission:	स्थानीय संरक्षक का विवरण
1	Details of Local Guardian
	Betails of Local Guardian
रिश्ता/ Relation	नाम/Name:
2	
0 (5)	
रिश्ता /Relation	ਪਗ/Address:
	adi/Address.
	संपर्क नंबर/ Contact no:
	ईमेल/Email :

(अभिभावक का नाम और हस्ताक्षर) (Name and Signature of the parent)

छात्रावास से छुट्टी के लिए आवेदन Application for Leave from Hostel

सेवा में/To, छात्रावास प्रभारी/The Hostel In-Charge			दिनांक/Date:			
			समय/Time:			
निफ़्ट,मुंबई/NIFT, Mumbai						
<u>.</u>	वेषय :अवकाश के वि	लेए अनुरोध				
<u>Su</u>	ubject: request fo	r Night out				
महोदया/ Madam,						
मैं,सुश्री						
एफ.पी.(डिज़ाइन)/प्रौद्योगिकी, एम.	 .डेस/एमएफएम	सेमेस्टर		कमर		
नंबर में रहती						
स्थानीय अभिभावक/माता-पिता से मिल			J			
I, Ms	_		t of FP([Design)/Technology,		
M.Des/MFM semester	residing in	room no		, would request		
		_				
छात्रावास छोड़ने की तारीख/Hostelleav	ving date					
छात्रावास छोड़ने का समय/Hostel leavi	ing time					
छात्रावास रिपोर्टिंग तिथि/ Hostel repor	ting date					
छात्रावास रिपोर्टिंग समय/ Hostel repor	ting time					
अवकाश पर जाने का कारण/ Reason f	or night out					

टिकट विवरण	(ट्रेन/फ्लाइट /बस किसी भी आरक्षण
के मामले में आवश्यक टिकट संलग्नक)	
Ticket detail	(Required Ticket attachment in case of any
reservation of train/flight/bus)	
धन्यवाद/Thanking you	
आपकी आज्ञाकारी/Yours Obediently	
छात्रा का नाम/Student name	
छात्रा का संपर्क नंबर/Student Contact number	
छात्रा का समक जबस्त्राauent contact number	